

04. महाविद्यालय भली भाँति परीक्षण उपरान्त पात्रता सुनिश्चित होने पर ही ऑनलाइन आवेदन फारम दर्ज करें। समस्त वांछित अभिलेखों, मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र सहित छात्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी संबंधित महाविद्यालय में सुरक्षित संभारित की जावे तथा विश्वविद्यालय द्वारा चाहे जाने पर उपलब्ध करायी जावे।
05. समस्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के एमपीऑनलाइन पोर्टल (<https://www.ralvv.mponline.gov.in>) पर G2G लॉगिन कर ऑनलाइन प्राप्त नामांकन फार्म को निर्धारित तिथि तक एप्रूव करना होगा। फार्म एप्रूव न होने की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन जारी नहीं किया जायेगा।
06. महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के नामांकन एप्रूव करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र द्वारा जिसमें प्रवेश किया है उसी हेतु नामांकन आवेदन किया गया है। विषय/ग्रुप संबंधी त्रुटि समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।
07. महाविद्यालय समस्त छात्रों के आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्रूव कर पाठ्यक्रमवार/विषयवार सत्यापित सूची, अंतिम तिथि के 05 दिवस तक अनिवार्यतः तक विश्वविद्यालय की नामांकन शाखा में जमा करेंगे। सूची प्राप्त न होने पर नामांकन जारी नहीं किये जावेगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य की होगी।

- किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर संपर्क करें -

विश्वविद्यालय ई-मेल	exam.ralvv@gmail.com
विश्वविद्यालय हेल्पडेस्क (फोन नंबर)	07582 - 299604
एम.पी. ऑनलाइन हेल्पडेस्क	https://helpdesk.mponline.gov.in/ticket/create
एम.पी. ऑनलाइन हेल्पडेस्क (फोन नंबर)	0755 - 6720200


 कुलसचिव
 रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय
 सागर (म.प्र.)

क्रमांक/ RALVV- 844 /अकादमिक/2025

सागर, दिनांक: 12/12/2025

प्रतिलिपि-

01. आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
02. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, सागर संभाग, सागर की ओर सूचनाार्थ।
03. प्राचार्य, समस्त संबद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, तृतीय तल, स्टेट आई.टी. पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गांधीनगर भोपाल 462033 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. निज सहायक, माननीय कुलगुरु, रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)।
06. निज सहायक, कुलसचिव, रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)।
07. संपादक दैनिक समाचार पत्रों की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में छात्रहित में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
08. वेबसाइट प्रभारी - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
09. संबंधित नस्ती।


 सहायक कुलसचिव
 रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय
 सागर (म.प्र.)